राज्य में कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ऐसे स्मारकों के लिए कोई प्रवेश-शुल्क लेती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि एकत्र की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्बाई): (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जहां पिछले वर्ष संरक्षण कार्य किया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) कुछ चुनिंदा स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से एकत्र की गई धनराशि नीचे लिखे अनुसार है:—

1993-94	49,82,570.50 रु०/-
1994-95	49,06,668.50 रु०/-
1995-96	52,52,639.50 रु०/-

विवरण

केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों की राज्यवार संख्या जहां पिछले वर्ष संरक्षण कार्य किया गया है।

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	19
2.	असम	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	10
5.	दिल्ली	19
6.	दमन एवं द्वीव	5
7.	गोवा	14
8.	गुजरात	19
9.	हरियाणा	7
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू एवं कश्मीर	14
12.	कर्नाटक	27
13.	केरल	2
14.	मध्य प्रदेश	17
15.	महाराष्ट्र	6
16.	उड़ीसा	9
17.	पंजाब	2
18.	राजस्थान	11
19.	तमिलनाडु	18
20.	उत्तर प्रदेश	34
21.	पश्चिमी बंगाल	9
		251

आरक्षित वन की भूमि का अतिक्रमण और उसे बेचा जाना

1338. **श्री सोमपाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी सिक्किम में वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वन की खास भूमि का अतिक्रमण किये जाने और उसे बेचे जाने के बारे में एक जांच कराई गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने भी सरकार और क्षेत्रीय वन महानिरीक्षक से शिकायत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भुवनेश्वर द्वारा इस मामले की जांच की गई थी तथा उनसे प्राप्त रिपोर्ट को सिक्किम राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

ठोस अपशिष्ट का उपयोग

1339. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से निकलने वाले ठोस